

वशेष और स्थानीय कानूनों में सुधार

प्रलमिस के लयि:

भारत के आपराधकि कानूनों में सुधार की आवश्यकता, [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#), दंड प्रक्रयि संहति (CrPC), भारतीय साक्ष्य अधनियम, [आपराधकि न्याय प्रणाली](#), [संज्ञेय अपराध](#)

मेन्स के लयि:

भारत के आपराधकि कानूनों में सुधार की आवश्यकता, सरकारी नीतयिों तथा वभिन्न क्षेत्रों में वकिस के लयि हस्तक्षेप एवं उनके डज़ाइन और कार्यानवयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में भारतीय दंड संहति (IPC), दंड प्रक्रयि संहति (CrPC) तथा भारतीय साक्ष्य अधनियम (IEA) में नहिति वास्तवकि आपराधकि कानून में सुधार के लयि कई वधियक पेश कयि गए हैं, कति वशेष और स्थानीय कानूनों (SLLs) पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दयिा गया है।

वशेष और स्थानीय कानून (SLL):

परचय:

- SLL वशेष रूप से कसिी वशेष राज्य अथवा स्थानीय क्षेत्र के भीतर क्षेत्र-वशेष, सांस्कृतकि अथवा कानूनी मामलों के समाधान के लयि बनाए गए हैं।
- वे भारतीय दंड संहति (IPC) में उल्लिखित सामान्य कानूनों तथा वनियमों से भन्न हैं।
- यह उन आपराधकि गतविधियिों को सूचीबद्ध करता है जनिहें राज्य सरकार वशेष मुद्दों के संबंध में तैयार करती है।

महत्त्व:

- SLL भारत की आपराधकि न्याय प्रणाली का एक अभन्न हस्सा है, इनमें सबसे मुख्य अपराधों तथा कार्यवाहयिों को शामिल कयिा जाता है। वे भारतीय आपराधकि न्याय प्रणाली में सार्थक भूमकि नभाते हैं।
- वर्ष 2021 में पंजीकृत सभी संज्ञेय अपराधों में से लगभग 39.9% SLL के अंतर्गत थे।
 - संज्ञेय अपराधों में एक अधिकारी न्यायालय के वारंट की मांग कयि बनिा कसिीसंदग्ध के मामले का संज्ञान ले सकता है तथा उसे गरिफ्तार कर सकता है, यदउसके पास "वशिवास करने का कारण" है कउस वयक्ति ने अपराध कयिा है और संतुष्ट है ककुछ नशिचति आधारों पर गरिफ्तारी आवश्यक है।
 - गरिफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अधिकारी को न्यायकि मजसिट्रेट द्वारा हरिसत की पुष्टि करनी होगी।

भारत में वशेष और स्थानीय कानूनों में सुधार की आवश्यकता:

अस्पष्ट परभाषाएँ:

- कुछ SLL, जैसे क'गैर-कानूनी गतविधियिों (रोकथाम) अधनियम, 1967', अपराधों की अपर्याप्त और अस्पष्ट परभाषाओं तथा 'आतंकवादी कृत्य,' 'गैर-कानूनी गतविधि' एवं 'संगठित अपराध' जैसे शब्दों से ग्रस्त हैं।
- ये अस्पष्टताएँ कानून की उचति प्रक्रयिा को प्रभावति करते हुए दुरुपयोग और गलत व्याख्या का कारण बन सकती हैं।

कानूनी प्रक्रयिा में परिवर्तनशीलता:

- SLL के परिणामस्वरूप वयक्तयिों या समूहों के लयि उनकी भौगोलकि स्थतिकि आधार पर अलग-अलग व्यवहार हो सकता है, जसिसे न्याय और कानूनी सुरक्षा तक पहुँच में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- कानूनी स्थरिता की कमी वयक्तयिों और व्यवसायों के लयि अनशिचतिता उत्पन्न कर सकती है, जसिसे कानूनी अधिकारों तथा दायतिवों को वहन करना कठनि हो जाता है।

■ चतिनशीलता की कमी:

- चतिनशील वचिारों की अनुपस्थिति अक्षमताओं और अनश्चितताओं को जन्म दे सकती है।
 - उदाहरण के लिये **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012** की नाबालगों के बीच सहमति से यौन गतिविधियों पर लागू होने के कारण आलोचना की गई है, जिससे इस तरह के आचरण को अपराध घोषित करने के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने पी. मोहनराज बनाम मेसर्स शाह बरदर्स इस्पात लिमिटेड, 2021 के मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act), 1881 की धारा 138 को 'आपराधिक भेड़िये' के भेष में 'सविलि भेड़' के रूप में संदर्भित किया।
 - NI अधिनियम की धारा 138, धन की कमी के कारण चेक बाउंस होने के संबंध में आपराधिक प्रावधान प्रदान करती है।

■ नयित प्रक्रिया को कमजोर करना:

- SLL ने उचित प्रक्रिया मूल्यों में गड़बड़ी की है, जिसका उदाहरण तलाशी और ज़बती के दौरान बढ़ी हुई शक्तियाँ तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज किये गए बयानों की स्वीकार्यता है।
- यह अभियुक्तों के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करता है तथा नष्टिपक्षता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- मज़बूत सुरक्षा उपायों की कमी कानूनी प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग का द्वार खोल सकती है, जिससे अभियुक्तों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
- SLL में प्रतर्बिधात्मक ज़मानती प्रावधान आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जमानत प्राप्त करना लगभग असंभव बना देते हैं।
 - उदाहरण के लिये: **UAPA की धारा 43(D)(5)** के तहत ज़मानत प्रावधान असाधारण रूप से कड़े हैं, जिससे UAPA के तहत आरोपियों के लिये ज़मानत प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है।

नष्टिकर्ष:

- SLL जनि व्यवहारों को अवैध बनाते हैं उन्हें दंड संहिता में अलग अध्याय के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिये। रिपोर्टिंग, गरिफ्तारी, जाँच, अभियोजन, परीक्षण, साक्ष्य और ज़मानत के लिये अलग-अलग प्रक्रियाओं वाले SLL को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) में शामिल किया जाना चाहिये या अपवाद के रूप में माना जाना चाहिये।
- वर्तमान सुधार प्रक्रिया का एक प्रमुख प्रतर्बिध SLL घटकों का बहर्षिकार है, जो इन कमियों को दूर करने के लिये सुधारों के दूसरे चरण की मांग करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, (UAPA), 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद वरिधी कानूनों को सुदृढ़ किया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा UAPA के वरिध के दायरे और कारणों पर चर्चा करते हुए मौजूदा सुरक्षा माहौल के संदर्भ में परविरतनों का वश्लेषण कीजिये। (2019)